न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 36/25

GCMS NO 2025/73

1. रामफूल पुत्र स्व.कल्ला जाति माली निवासी हजरिया की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौन सिटी हाल वासी ग्राम जहानाबाद तहसील हिण्डौन सिटी
2. गोपाल पुत्र स्व.कल्ला
3. रामकिशन पुत्र स्व.कल्ला
4. फत्तेसिह पुत्र स्व.मनीराम
5. राजेश पुत्र स्व.मनीराम समस्त जातियान माली निवासीयान हजरिया की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भरोसी
2. किशन
3. किन्दूरी पुत्रान स्व. दिलखुश
4. गिरधारी
5. विजय सिह
6. मान सिह पुत्रान भरोसी
7. रामदयाल
8. ओमप्रकाश पुत्रा किशन समस्त जातियान माली निवासीयान हजरिया की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 51/15 निर्णय दिनांक 28.2.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री संजय शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री रामभरोसी गोयल

दिनांक 27.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.2.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 608 रकबा 30 ऐयर चाही अब्बल वाके ग्राम हजरिया की कोठी हिण्डौन सिटी सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जिसमे सायल न0 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्सा तथा सायल न0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है। जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई सवंध किसी प्रकार का नही है। उक्त भूमि मे सायल न0 2 ... चार मकान वने हुए है। जिसमे सायलान निवास करते है। शेष भूमि को सायलान ... उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की ओर गैरसायलान का ना तो कोई ... आवागमन है। लेकिन सायलान की भूमि खसरा न0 608 से लगता दक्षिण की तरफ गैरसायलान की खसरा न0 609 भूमि है। इसलिए गैरसायलान ने बिला इस्तहकाक व बिला मर्जी सायलान की खसरा न0 608 की दक्षिण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की तरफ की भूमि मे सायलान की 12 फीट चोडी और 220 फीट लम्बी भूमि दबाते हुए दिनांक 26.6.15 के आस पास दो गैर मुण्डा पाटौर डाल दी। जिसका पता लगते ही सायलान ने गैरसायलान से कहा कि तुमने जो हमारी भूमि खसरा न0 608 की भूमि को दबाते हुए 12x220 फुट भूमि दबाते हुए पाटोर डाली है उसे हटाओ। तो गैरसायलान आजकल आजकल करते हुए पाटोर को हटाने का आश्वासन देते रहे परन्तु पाटोर नही हटाई। तथा अंत मे उक्त भूमि मे से रास्ता निकालने की धमकी दी गई। गैरसायलान सायलान की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है तथा काश्त करने मे व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। इसलिए गैरसायलान को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और नही दीगर व्यक्तियो की मदद से सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा न0 608 रकबा 30 ऐयर वाके ग्राम हजरिया की कोर्ट तहसील हिण्डौन सिटी मे किसी भी भाग पर कब्जा नही करे ना ही रास्ता निकाले और सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांटगण को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून तथा तथ्यो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि निर्णय मे ऐसे कोई तथ्य अंकित नही किये जिनके आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हो। केवल यह अंकित किया है कि वादपत्र के तथ्यो के सबंध मे वादी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस से साबित करने मे असफल रहा है। जबकि सायलान ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो के सबंध मे अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 608 की जमाबंदी /नक्शा ट्रेस/खसरा गिरदावरी पेश की है। सायलान खसरा न0 608 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 608 से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई सबंध किसी प्रकार का नही है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से डोल मेड का विवाद माना है। डोल मेड पर कोई विवाद नही है। गैरसायलान ने सायलान की भूमि खसरा न0 608 के दक्षिण भाग मे 12x220 फुट भूमि दबाते हुए पाटोर डाल ली उसकी बेंदखली की रिलीफ भी सायलान ने दावे मे चाही है। रिकार्डेड खातेदार द्वारा दायर किये गये दावे को ही प्रथम दृष्टया केस ना मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे गैरसायलान द्वारा केवल जवाब पेश किया है। जवाब के सर्मथन मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है ना ही खसरा न0 608 की कोई जमाबंदी पेश की है। जिससे गैरसायलान अपने पक्ष को साबित कर सकते फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सायलान का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया केस/सुविधा का संतुलन/अपूर्ण क्षति का सिद्धान्त ना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज कर भारी कानूनी भूल की है तथा खिलाफ आदेश पारित किया है। जबकि अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मातहत को अपनी अपनी रिकार्डेड खातेदारी की भूमि तक यथावत स्थिति के आदेश पारित करने चाहिए थे। जिससे आफटर एवीडेन्स दावे का मैरिट पर निस्तारण विधि अनुकूल होता। अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त का कोई अवलोकन नही किया ना ही निर्णय मे कोई वर्णन किया ना ही कोई मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टी आई को खारिज करने का ऐसा कोई मुख्य कारण दर्ज नही किया जो वाद पत्र तथा जबाब दावे के तथ्यो पर आधारित हो। केवल दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस से साबित करने मे असफल होने के तथ्य के आधार पर आर्वीटरी व गेरकानूनी मिसकन्सीब्ड निर्णय पारित किया है। जिससे मौके पर पक्षकारान मे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान द्वारा प्रस्तुत नजीरो का निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.2.25 अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट/सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट की भूमि खसरा न0 608 से लगवा रेस्पो0/गैरसायलान की भूमि खसरा न0 609 रकबा 12 ऐयर का खेत है। गैरसायलान/रेस्पो0 ने अपने खेत खसरा न0 609 मे 8 फीट चोडा रास्ता छोडकर अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु पाटोर पोश घरो का निर्माण किया हैं तथा डोल के सहारे टयूबबेल का निर्माण कर रखा है। अपीलांट के खेत मे किसी प्रकार की पाटोर नही डाली है। अपीलांट/सायलान द्वारा मनगढन्त आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। गैरसायलान द्वारा रास्ते के लिए छोडी गई 8 फीट भूमि से अपीलांट/सायलान का किसी प्रकार का कोई सबंध नही है। अपीलांट/सायलान द्वारा उक्त 8 फीट भूमि मे जबरदस्ती एक ट्रोली पत्थर डाल दिये थे जिसकी मना करने पर सायलान द्वारा झगडा फसाद किया तथा औरतो के साथ मारपीट की गई जिसका इस्तगासा मुकदमा न0 539/15 थाना हिण्डौन सिटी मे गैरसायलान द्वारा दर्ज कराया गया है। जो जैर तफतीश है जिसके बचाव के लिए अपीलांट/सायलान द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र व दावा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 2.12.19 का अवलोकन किया जाकर ही विधिवत रूप से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलांट/सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है तथा ही सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य [illegible] अपीलांट/सायलान द्वारा भूमि खसरा न0 608 रकबा 30 ऐयर स्थित हजरिया की कोठी तहसील [illegible] मे रेस्पो0/गैरसायलान द्वारा जबरन कब्जा कर पाटोर बना लेने व अपीलांट/सायलान के [illegible] मे व्यवधान नही करने हेतु रेस्पो/गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] की इस्तदुआ चाही गई थी। पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 2[illegible]19 अनुसार आराजी खसरा न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

608 की खातेदारी अपीलांट/सायलान के नाम दर्ज है जिसमे मौके पर गोपाल,रामकिशन पिसरा कल्ला एवं राजेश, फतेसिह पिसरान मनीराम के पक्के मकानात बने होना एवं खसरा न0 609 मे किन्दूरी लाल पुत्र दिलखुश की पाटोर पोश एवं किशनलाल , भरोसीलाल के पक्के मकानात बने हुए है तथा लगभग 0.03 है0 मौके पर खाली होने का अंकन है जिसमे ईधन चारा इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाना अंकित किया हुआ है। अपीलांट/सायलान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त आराजी खसरा न0 608 पर रेस्पो0/गैरसायल द्वारा पाटोर पोश बनाकर कब्जा करना सिद्व हो सके। जबकि रेस्पो0/गैरसायलान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जबाब मे रेस्पो/गैरसायलान द्वारा रास्ते के लिए छोडी गई 8 फीट भूमि मे अपीलांट/सायलान द्वारा एक ट्रोल पत्थर डालने के कारण हुए विवाद के सबंध मे पुलिस थाना हिण्डौन सिटी मे इस्तगासा 539/15 दर्ज कराने का कथन किया है तथा जबाब के सर्मथन मे शपथ पत्र भी पेश किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट का प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अतुल्य क्षति अपीलांट के पक्ष मे नही मानकर विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0नं0 51/15 मे पारित निर्णय दिनांक 28.2.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested